an>

Title:

श्री केशव प्रसाद मौर्य **(फूलपुर):** अध्यक्ष महोदया, मैं विशेष तौर से बीपीएल सूची के संबंध में आज यहां पर विषय उठाना चाहता हूँ। सन् 2001 में एक बीपीएल सूची तैयार की गई थी। उस सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। वास्तव में जिनको उस सूची में शामिल किया जाना चाहिए था, वे बहुत बड़ी संख्या में छूट गए और जिनको शामिल नहीं होना चाहिए था, उनको शामिल कर लिया गया। इसके कारण भारत सरकार सहित प्रदेश सरकारों की जो सुविधाएं मिलती हैं, वे तो संपन्न लोगों को मिलती जा रही है, जो कि गरीब लोगों के लिए होती हैं। वास्तविक रूप से जो गरीब हैं, उनका बीपीएल सूची में नाम नहीं होने के कारण वे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मैंने अपने फूलपुर लोक सभा क्षेत्र, इलाहबाद जनपद, कौशांबी जनपद आदि में प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि गांव-गांव में गरीब पूरी तरह से टूट गए हैं। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि सन् 2001 की जो बीपीएल सूची तैयार की गई है, उसे निरस्त कराया जाए और नए सिरे से बीपीएल सूची तैयार कराई जाए और जो कर्मचारी इस काम में लगाए जाएं, जो पीछे भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिसके कारण गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, आगे जो सूची तैयार कराई जाए, उस सूची को तैयार करने वाले कर्मचारियों के बाद उसकी क्रॉस चेकिंग कराई जाए, अगर कोई कर्मचारी बीपीएल सूची तैयार करने में भ्रष्टाचार करता है, गड़बड़ी करता है, वास्तविक गरीबों को छोड़ता है तो उसको सेवा से बर्खास्त करने का प्रावधान भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं गांवों के अंदर गया हूँ। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, जिनको आवास की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, आवास नहीं मिल पा रहा है, कोई बीमार है तो उसको दवा की सुविधा नहीं मिल पा रही है, बीपीएल सूची में नहीं होने के कारण उसे यह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वह गरीब है। दूसरा, सन् 2001 में बीपीएल सूची बनी थी और आज सन् 2015 के बाद, 14-15 लंबे वर्ष के अंतराल के बाद जो वास्तव में बीपीएल था, वह एपीएल और उससे भी ऊपर पहुंच गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सन् 2001 की बीपीएल सूची को निरस्त कर के नए सिरे से सूची तैयार कराई जाए और वास्तविक रूप से गरीबों को सूची में शामिल किया जाए।

माननीय अध्यक्ष **:** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।